"राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और गरीबी उन्मूलन"

विशेष सन्दर्भ :- अकबरपुर (अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश)

"National Rural Livelihoods Mission and Poverty Eradication"

Particular Reference :- Akbarpur (Ambedkar Nagar, U.P)

विकास एवं शांति अध्ययन से एम० फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत

लघु शोध प्रबंध

सत्र :– 2016 – 2017

शोध-निर्देशक

डॉ० मनोज कुमार राय

(सहायक प्रोफेसर)

शोधार्थी

देवेन्द्र मौर्य

नामांकन संख्या – 2016/03/222/003

गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग

संस्कृति विद्यापीठ

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित)

पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442005. (महाराष्ट्र) भारत

सारांश

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार को पुर्नगठित करके संचालित किया जा रहा है। यह गरीबी उन्मूलन की एक संकर स्वरूप (Hybrid Model) योजना है। जिसे पूर्व में शुरू की गयी सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं की विशेषताओं एवं कमियों को ध्यान में रखकर लागू किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को एक साथ संस्थागत रूप से संगठित कर, सूक्ष्मवित्त एवं रोजगार/स्वरोजगार प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि गरीबी आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, जो परस्पर अंर्तक्रिया करती है तथा निरंतर रूप से एक दूसरे को इस प्रकार सशक्त बनाती है कि निर्धन लोगों की अभावग्रस्तताओं को और भी गंभीर बना देती है। शोध का प्रथम उद्देश्य इस योजना के माध्यम से ग्रामीण गरीबों की आजीविका संवर्धन में होने वाली वृद्धि को जानना था। अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि यह योजना इन गरीब परिवारों के आजीविका संवर्धन में आंशिक रूप से ही सफल हो पायी और इसके कई कारण हैं। शोध का द्वितीय उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय एवं अन्य सुविधाओं को जानना था जिसमें यह योजना अपने वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही है। ब्लॉक के लगभग सभी स्वयं सहायता समूहों को उनके समयावधि एवं प्रदर्शन के आधार पर सभी वित्तीय सेवाएँ और मदद उपलब्ध है। ये वित्तीय मदद समूह के महिलाओं की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही पुरुषों पर से उनकी वित्तीय निर्भरता को कम कर रही है। शोध का तीसरा उद्देश्य इस योजना द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण का अध्ययन करना था। इस योजना के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों में से चयनित सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRP), ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP), एवं समूह सखी जो कभी स्वयं गरीबी के जाल में फँसी थी, अब दूसरों को उसमें से निकलने का कार्य कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह की अन्य महिलाएँ भी अब समूह के माध्यम से सूचना, ज्ञान, कौशल और वित्तीय मदद प्राप्त कर सशक्त हो रही हैं। इस प्रकार यह योजना अकबरपुर ब्लॉक के गरीब ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास, स्वाधिकार, वित्तीयनिर्भरता के साथ-साथ सामुदायिक रूप प्रदान करने में सफल रही है।

SUMMARY

The National Rural Livelihood Mission scheme of Government of India is being reorganized as the renovation of Swarnjayanti Gram Swarojgar Yojana. This is a hybrid model plan for eradication of poverty. Which has been implemented by keeping in mind the characteristics and shortcomings of all the poverty eradication schemes introduced in the past. Through this scheme, the poor families are being institutionally organized, micro-finance and employment / self employment training, because poverty is the result of economic, political and social processes, which interacts with and continuously one Strengthens the other in such a way that the poor of the poor people makes even more serious. The first objective of Research was to know the increase in livelihood promotion of rural poor people through this scheme. It s clear from the data obtained from the study that, this scheme has been partially successful in the livelihood promotion of these poor families and there are many reasons. The second objective of the research was to know the financial and other facilities provided to the Self-Help Groups in which this scheme has been successful in achieving the purpose of its financial inclusion. Almost all financial services to Self-Help Groups of blocks are available and assistance are based on their timeline and performance. It is reducing their financial dependence on men as well as fulfilling the small needs of women in the financial help group. The third objective of Research was to study the empowerment of women by this scheme. Selected Community Resource Person (CRP), Block Resource Person (BRP), and Samooh Sakhi from the Self-Help Groups constituted under this scheme, One (Self Help Group Women) who were sometimes trapped in the net of self-poverty, are now working to get others out of it. Other women from the self-help group are now strengthened by getting information, knowledge, skills and financial assistance through the group. Thus, this scheme has been successful in providing with self confidence, self-esteem, financial independence and has succeeded in providing community forms among the poor rural women of Akbarpur block.

अनुक्रमणिका

विषय वस्तु *पृष्ठ संख्या*

घोषणा पत्र

प्रमाण पत्र

आभार

सारांश

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना.. 11 -25

गरीबी : अवधारणा एवं मापन

सूक्ष्म वित्त

स्वयं सहायता समूह

साहित्य पुनरावलोकन

शोध समस्या

शोध की प्रासंगिकता

शोध प्रश्न

शोध उद्देश्य

शोध प्रविधि

शोध प्रक्रिया

शोध सीमाएँ

अध्याय – प्रथम गरीबी उन्मूलन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ………………… 27-37

i. *गरीबी रोजगार कार्यक्रम*
ii. *स्वरोजगार कार्यक्रम*

iii. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

iv. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

अध्याय – द्वितीय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन : एक परिचय 39-56

i. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

ii. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मार्गदर्शक सिद्धांत

iii. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मूल्य

iv. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की विशेषताएं

v. सारांश

अध्याय – तृतीय अध्ययन क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति : एक परिचय 58-65

i. जनपद परिचय

ii. अकबरपुर ब्लॉक

iii. ब्लॉक की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या

iv. जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण

v. साक्षरता दर

vi. भौतिक सुविधाएं

vii. ब्लॉक की सामान्य सूचनाएं

अध्याय – चतुर्थ आंकड़ा संग्रहण 67-88

i. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित प्रतिभागियों को जानकारी

ii. स्वयं सहायता समूहों में सामाजिक समावेशन की स्थिति

iii. स्वयं सहायता समूह के लिए उपलब्ध वित्तीय समावेशन से सबंधित प्रतिभागियों की जानकारी एवं उनके लिये उपलब्ध सुविधाए की स्थिति

iv. प्रतिभागियों को दिये गये आजीविका संवर्धन संबंधित प्रशिक्षण कि स्थिति

v. प्रशिक्षण के उपरांत प्रतिभागियों कि आजीविका संवर्धन की स्थिति

vi. सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनओं में प्रतिभागियों की भागीदारी की स्थिति

vii. साक्षात्कार परिणाम

अध्याय – पंचम आंकड़ों की व्याख्या 90-99

i. योजना से संबंधित जानकारी
ii. सामाजिक समावेशन
iii. वित्तीय समावेशन
iv. आजीविका संवर्धन के लिये रोजगार/स्वरोजगार प्रशिक्षण एवं कृषि प्रशिक्षण और उनका आजीविका संवर्धन
v. अन्य सरकारी योजनाओं लोगो की भागीदारी[1]
vi. साक्षात्कार की व्याख्या

निष्कर्ष एवं सुझाव *101*-104

संदर्भ-ग्रंथ सूची *106*-107

परिशिष्ट 109-118

.

- प्रस्तावना
- गरीबी : अवधारणा एवं मापन
- सूक्ष्म वित्त
- स्वयं सहायता समूह
- साहित्य पुनरावलोकन
- शोध समस्या
- शोध की प्रासंगिकता
- शोध प्रश्न
- शोध का उद्देश्य
- शोध प्रविधि
- शोध प्रक्रिया

  शोध की सीमा

प्रस्तावना

स्वतंत्रता के समय से ही भारत में निर्धनता उन्मूलन विकासात्मक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। भारत के नियोजन प्रणाली में आर्थिक संवृद्धि व सामाजिक न्याय महत्वपूर्ण आधारभूत उद्देश्य रहे हैं। निर्धनता की समस्या का सामना करने के लिए 1950 के दशक से ही अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए पहला कदम 1952 में 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' के रूप में, दूसरा प्रयास मध्यवर्ती संस्थाओं के समापन जैसे जमीदारी व जागीरदारी प्रथा के समापन के रूप में तथा तीसरा कदम 1960 के दशक में खाद्यान्नों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए की गई हरित क्रांति के रूप में था। इसके साथ – साथ प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का कहीं न कहीं लक्ष्य गरीबी उन्मूलन था, अगर हम देखे तो पहली पंचवर्षीय योजना जिसमें कृषि, पाँचवी पंचवर्षीय योजना जिसमें 'निर्धनता उन्मूलन,' सातवीं पंचवर्षीय योजना जिसमें 'भोजन काम तथा उत्पादकता' तथा दसवी पंचवर्षीय योजना 'मानव कल्याण' पर केन्द्रित थी, और इन सबका उद्देश्य कहीं न कहीं गरीबी उन्मूलन था। भारत में निर्धनों पर केंद्रित अनेक कार्यक्रम समय-समय पर प्रारम्भ किए गए जैसे न्यूनतम आवश्कता कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (1980-1981), खेतिहर मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम (1983), जवाहर रोजगार योजना (1989-1990), रोजगार आश्वासन योजना (1993), जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (1996), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2001), काम के बदले अनाज कार्यक्रम (2004), महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (2005), समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1968-69), ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (1995), स्वर्ण जयंती ग्राम-स्वरोजगार योजना (1999), एकीकृत बल विकास कार्यक्रम (1975) एवं सामजिक सुरक्षा कार्यक्रम इत्यादि. गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू किये गए ये कार्यक्रम कहीं न कहीं एकांकी थे क्योंकि इस कार्यक्रम में केवल कुछ निश्चित दिनों का रोजगार या थोड़ी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करना था और इन दिनों देश के योजनाकार इस बात में विश्वास रखते थे कि यदि देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में तीव्र गति से वृद्धि हो तो इससे उत्पन्न होने वाले लाभदायक रिसाव से गरीबी जैसी समस्या स्वत: समाप्त हो जायेगी। इसी प्रकार शुरू किये गये स्वरोजगार कार्यक्रम, जिसके लिए समर्पित प्रशिक्षित कर्मचारी, योजनओं को संचालित करने वाले विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी थीं. इसी कारण से ये कार्यक्रम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। गरीबी जैसी बहुआयामी एवं बहुपक्षीय समस्या से लड़ने के लिये आय तथा गैर-आय दोनों आयामों पर एक साथ कार्य की आवश्यकता होती हैं। इसी कारण अब गरीबी उन्मूलन के लिए आय तथा गैर-आय दोनों आयामों पर ध्यान दिया जा रहा है। गरीबी

उन्मूलन के संबंध में अब यह एक स्वीकार दृष्टिकोण बन गया है कि निर्धनता के अंतर्गत केवल निम्न आय व निम्न उपभोग को ही शामिल नहीं किया जाता बल्कि शिक्षा, स्वास्थ, पोषाहार तथा मानव जीवन के अन्य आयाम में निम्न उपलब्धियों को भी शामिल किया जाता है और यह परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा मानव विकास सूचकांक (HDI) सूचकांक जारी करने के बाद आया। इससे पहले अर्थशास्त्री केवल देश की सकल घरेलू (GDP) वृद्धि के द्वारा गरीबी के समस्या को समाप्त करने की बात करते थे। परन्तु इस बहुआयामी एवं बहुपक्षीय समस्या का समाधान इससे नहीं हो पाया। इसलिए प्रसिद्धि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ***महबूब-उल-हक*** ने एक बहुत अच्छी अवधारणा दी-'हमें यह शिक्षा दी गई थी हमें अपनी GNP की चिंता करनी चाहिए क्योंकि यह निर्धनता की चिंता कर लेगी किन्तु अब इसे उलट देना चाहिए तथा निर्धनता की चिंता करनी चाहिए क्योंकि यह GNP की चिंता कर लेगी', इस आधार पर कि लोगों की दृष्टि में निर्धनता का अर्थ क्या हो? इसकी परिभाषा को विस्तृत करके शक्तिहीनता स्वरहीनता आपातग्रस्तता के स्वर को भी शामिल किया जाता है क्योंकि निर्धन लोग अपने क्रियाकलापों तथा चुनाव की उस आधारभूत स्वतंत्रता से वंचित रहते हैं, जो सम्पन्न लोग स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर लेते हैं। वे प्राय: पर्याप्त भोजन तथा आश्रय से, शिक्षा तथा स्वास्थ सुविधाओं से वंचित रहते हैं अर्थात ऐसी अभावग्रस्तता से ग्रसित रहते हैं जो उन्हें एक ऐसे जीवन से वंचित रखती है, जिसकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को होती है। वे प्राय: प्रतिकूल स्वास्थ्य,आर्थिक विस्थापन तथा प्राकृतिक आपदाओं की गंभीर आपातग्रस्तताओं से ग्रसित रहते हैं तथा वे प्राय: सरकारी संस्थाओं व समाज के दुर्व्यवहार का भी सामना करते हैं तथा उन प्रमुख निर्णयों को प्रभावित कर सकने में शक्तिहीन होते हैं जिनका सम्बन्ध उनके जीवन से होता है, ये सभी निर्धनता के आयाम हैं।

निर्धनता आर्थिक,राजनीतिक तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का एक परिणाम हैं जो परस्पर अंतर्क्रिया करती हैं तथा निरंतर रूप से एक दूसरे को इस प्रकार सशक्त बनाती हैं जो निर्धन लोगों की आभावग्रस्तताओं को और भी गंभीर बना देती है।

गरीबी-अवधारणा एवं मापन:

गरीबी की अवधारणा एवं मापन को लेकर अलग –अलग विद्वानों, देशों तथा संस्थाओ द्वारा भिन्न –भिन्न पैमाने उपयोग में लाये जाते हैं –

SEEBOHN ROWNTREE (1901) ने ऐसे परिवारों को प्राथमिक निर्धनता के अंतर्गत परिभाषित किया जिनकी कुल आय उनकी न्यूनतम शारीरिक कुशलताओं को बनाये रखने के लिए भी पर्याप्त न हों।

एडम स्मिथ (ADAM SMITH) के द्रष्टिकोण में किसी व्यकित को धनी या निर्धन के रूप में देखे जाने का आधार यह है कि वह किस स्तर पर जीवन कि आवश्यकताओं को, सुविधाओं तथा अन्य इच्छाओं को पूरा कर सकने में समर्थ हैं।

खाद्य एवं कृषि संगठन के निदेशक **LOYD BAYD ORR** ने निर्धनता रेखा को 2300 कैलोरी प्रति व्यकित प्रतिदिन के उपभोग स्तर द्वारा निर्धारित किया। उन्होंने इसे "भुखमरी" की रेखा कहा। जिसे बाद में गरीबी रेखा के रूप में स्वीकार किया गया।

भारत में योजना आयोग द्वारा जुलाई में **डी.आर. गाडगिल** की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन किया गया ताकि राष्ट्रीय निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जा सके। गाडगिल समिति ने इसे नगरीय तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए 20 रूपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह (1960-61) की कीमतों पर निजी उपभोग व्यय के रूप में निर्धारित किया था। योजना आयोग द्वारा निर्धारित रेखा की इस माप को समय–समय पर संशोधित किया गया। योजना आयोग द्वारा निर्धारित रेखा का आंकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा प्रति 5 वर्ष में पारिवारिक उपभोग व्यय के लिए किये जाने वाले बड़ें प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के आधार पर किया जाता हैं। इसके आधार पर निर्धनता रेखा की परिभाषा मासिक प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर की जाती हैं। इसके लिए योजना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली विधि समय-समय पर गठित समूहों के सुझाव पर आधारित होती हैं।

मौद्रिक आधार पर निर्धनता रेखा का अर्थ उपभोग के उस औसत स्तर से है जिन पर ये न्यूनतम उपभोग आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। योजना आयोग द्वारा इसको (1973-74) की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 49..09 रुपया तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 56.64 रुपया तय किया गया।

योजना आयोग ने 1979 में निर्धनता रेखा के पुनर्निधारण के लिए कदम उठाया। इसके लिए इसने '***भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद***' (ICMR) के साथ सहभागिता की। आयु, लिंग व पोषण तत्व मानकों के आधार पर निर्धनता रेखा को संशोधित किया गया। इन मानकों के आधार पर

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसका औसत 2435 कैलोरी तथा नगरीय क्षेत्रों में 2095 कैलोरी था। जिन्हें निकटम पूर्णाकों में क्रमशः 2400 व 2100 कैलोरी प्रति व्यकित प्रतिदिन स्वीकार किया गया। यह निर्धनता रेखा के निर्धारण की भोजन पोषाहार विधि थी।

प्रो. डी. टी. लकडावाला (1989-93) इस समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने कैलोरी, कपड़ा तथा आवास को निर्धनता रेखा के मानक के रूप में तय किया।

सुरेश तेंदुलकर समिति (दिसम्बर 2005-2009) भारत में निर्धनता के रेखा के संशोधन तथा उसके आधार पर निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए योजना आयोग ने दिसम्बर 2005 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ अध्ययन दल का गठन किया। जिसने दिसम्बर 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने व्यय विधि के आधार प्रति माह प्रतिव्यक्ति नगरीय क्षेत्रों के लिए **1000** रुपया तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए **816** रुपया से कम व्यय करने वाले लोगों को गरीबी रेखा से नीचे माना।

योजना आयोग ने सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा दी गयी विधि के आधार पर 2004-2005 के लिए निर्धनता रेखाओं तथा निर्धनता अनुपातों का आंकलन किया था तथा इसी के आधार 2009-10 व 2011-12 के लिए भी आंकलन किये गए थे। योजना आयोग द्वारा अपनाई गयी इस विधि तथा निर्धनता के आंकलन को लेकर काफी विवाद उत्पन्न हुआ। इन विवादों के चलते मई 2012 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के **अध्यक्ष डॉ० सी० रंगराजन** की अध्यक्षता में निर्धनता की माप तथा विधि के पुनर्निरीक्षण के लिए एक समिति गठित कि गयी। इस समिति ने मई 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने भी व्यय विधि का उपयोग करते हुए प्रति पांच परिवार के आधार पर नगरीय क्षेत्रों के लिए **7035** रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए **4860** रूपये से कम खर्च करने वाले परिवरों को गरीबी रेखा के नीचा माना।

भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण (2014-2015) में नीति आयोग द्वारा सुरेश तेंदुलकर समिति की विधि को आधार माना जिसके आधार पर (2011 की जनगणना) पर देश की **21.99%** जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा -

इस निर्धनता रेखा का निर्धारण विश्व बैंक द्वारा 1990 में (1985 की कीमतों पर) किया गया। इसके द्वारा निम्न आय वाले देशों में $1 से कम तथा उच्च आय वाले देशों के लिए $2 से कम

प्रतिदिन को संबंधित देश की घरेलू मुद्रा के क्रयशक्ति समता प्रणाली (PPP) के आधार पर तय किया गया। 2000-2001व 2008 में इसको पुर्नसंशोधित किया गया। अक्टूबर 2015 में विश्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा को (2011-2012 की कीमतों पर) **$1.90** प्रतिदिन तय की। जून 2016 में विश्व बैंक द्वारा भारत में गरीबी पर जारी रिपोर्ट के अनुसार 27 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं यानि हर 5 भारतीय में से 1 भारतीय व्यक्ति गरीब हैं कुल गरीबों की जनसंख्या का 80% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं। देश में सबसे ज्यादा गरीबी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में हैं इनकी कुल जनसंख्या का 43% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं।

बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI)[2] -

इस सूचकांक का निर्माण 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा ऑक्सफ़ोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह सूचकांक निर्धनता की माप के परम्परागत $1 प्रतिदिन व अन्य संकीर्ण मापों की तुलना में निर्धनता की एक समग्र माप हैं। यह सूचकांक निर्धनता की माप के लिए 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन निर्वाह की स्थितियों पर आधारित हैं। इसके अंतर्गत कुल 10 सूचकों को शामिल किया जाता हैं। स्वास्थ्य के अंतर्गत 2 सूचक, शिक्षा के अंतर्गत 2 सूचक तथा जीवन निर्वाह की स्थितियों के अंतर्गत 6 सूचक शामिल किया गए हैं। चूँकि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में 3 आयाम शामिल हैं, जिनकें अंतर्गत 10 सूचक हैं तथा प्रत्येक आयाम का भारांश सामान हैं। अत: इनमें से प्रत्येक आयाम का मूल्य 10 सूचकों में से 1/3 हैं। लेकिन अलग – अलग आयामों के अंतर्गत सूचकों की संख्या अलग – अलग हैं अत: प्रत्येक सूचक का मूल्य अलग हैं।

MPI
- H → 1/3*10 = 10/3*1/2 = 10/6 = 1.67
- E → 1/3*10 = 10/3*1/2 = 10/6 = 1.67
- L → 1/3*10 = 10/3*1/6 = 10/18 = 0.56

आयाम	सूचक	
स्वास्थ्य	a.	कम से कम एक सदस्य कुपोषित हों।

[2] MPI Multidimensional Poverty Index

	b.	एक या अधिक बच्चों की मृत्यु हो गयी हो।
	b .	किसी भी सदस्य ने 5 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की हो।
शिक्षा	b.	स्कूली शिक्षा की आयु का कम से कम एक बच्चा स्कूल में नामांकित न हो।
	a.	विद्युत उपलब्ध न हो।
जीवन निर्वाह कि स्थितियां	b.	सुरक्षित पेयजल तक पहुंच न हों।
	c.	पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था न हों।
	d.	आवास का फर्श कच्चा हो।
	e.	परिवार द्वारा हानिप्रद रसोई ईंधन का उपयोग किया जाता हो ।
	f.	परिवार के पास मोटर कार न हो तथा इनमें से अधिक से अधिक एक हो-मोटर साइकिल, साइकिल, रेडियो, टेलीविजन, घर टेलीफोन।

बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के आधार पर भारत की 55.30% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं। ***जून 2017*** में जारी MPI रिपोर्ट के अनुसार 103 देशों में से भारत 37 वें स्थान पर हैं। भारत के आठ राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ में अफ्रीका के सबसे अधिक निर्धन 26 देशों से भी अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण कुपोषण हैं।

सूक्ष्म वित्त -

सूक्ष्म वित्त शब्द के दो घटक होते हैं – सूक्ष्म अर्थात लघु आय तथा लक्षित निर्धन समूह। ***ग्रामीण बैंक*** ने सूक्ष्म वित्त शब्द की परिभाषा आधारभूत रूप से निर्धनों के लिए छोटे आकार में दिए जाने वाले ऋणों के रूप में की हैं, ताकि वे स्वरोजगार क्रियाकलाप अपना सकें जिनसे उनका और उनके परिवार के लिए आय अर्जन का स्त्रोत बन सकें।

स्वयं सहायता समूह (SHG) -

स्वयं सहायता समूह लगभग 20 लोगो का समूह होता हैं जो अपनी उभयनिष्ट समस्याओं के लिए संगठित होते हैं। सदस्यों को नियमित आधार पर अल्प बचतें एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता हैं जिससे सम्बन्धित कोष निर्मित होता हैं। उनके द्वारा एकत्र की गयी बचतों के आधार पर बैंक उन्हें बिना किसी बंधन के छोटे आकार का ऋण प्रदान करते हैं। इससे उन्हें आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को प्रारम्भ करने में मदद मिलती हैं। चूँकि यह ऋण समूह के नाम पर होता हैं अत:उसके पुनर्भुगतान का दायित्व सदस्यों पर सामूहिक रूप से हो जाता हैं।

साहित्य पुर्नावलोकन - चयनित शोध विषय के सम्बन्ध में शोध साहित्य पुनरावलोकन के मुख्य शब्द स्वयं-सहायता समूह तथा गरीबी उन्मूलन को केन्द्रित करते हुए गूगल स्कालर, J - STOR और EPW सर्च साईट का उपयोग किया गया और इससे सम्बन्धित किताबों का भी अध्ययन किया गया-

सेन, अमर्त्य. (1999) इन्होंने अपनी इस पुस्तक में पहले गरीबी मापने के जितने भी पैमाने जैसे व्यक्ति गणनानुसार, जीवशास्त्री दृष्टिकोण, विषमता विधि, सापेक्ष विधि इत्यादि की आलोचना की है और इनकी कमियों को भी बताया है। इन्होंने गरीबी मापन की एक नयी अवधारणा ***'क्षमता दृष्टिकोण'*** (Capability Approach) की बात की है। बंगाल, इथोपिया इत्यादि देशों में पड़े अकाल के कारण होने वाली मौतों को उस समय की सरकारों की विफलता को बताया, इन्होंने अपने विश्लेषण के आधार पर यह सिद्ध किया कि सरकारी मशीनरी इस अकाल की भयावह स्थिति इस काल की प्रवृत्ति, इस अकाल का सबसे अधिक प्रवाह किस समूह पर पड़ रहा है। किसकी किस प्रकार से सहायता की जाए तथा खाद्यानों की उपलब्धता तथा आपूर्ति का आकलन भी सही तरीके से नहीं कर पायी. वः उसके सम्पूर्ण चरित्र को समझने में नाकाम रही।

पुरी, वी०के० & मिश्र, एस० के० (2010) इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से भारत में अब तक गरीबी उन्मूलन के लिए चलायी गयी योजनाओं का मूल्याँकन कर निम्न कदम उठाने की बात कही-

- अब तक गरीबी निवारक कार्यक्रम का पूरा ध्यान अतिरिक्त आय के सृजन पर केंद्रित रहा। इसलिए दीर्घकालिक आधार पर गरीबी को दूर करने के लिए आवश्यक सामाजिक आगतो जैसे परिवार कल्याण, पौष्टिक आहार, सामाजिक सुरक्षा तथा न्यूनतम आवश्यकतओं की पूर्ति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाये।

- अब तक के कार्यक्रम में अपाहिज, बीमार तथा उत्पादकरूप से काम करने के अयोग्य लोगो क लिए कुछ नहीं किया गया। इन लोगों के लिए योजनाओं में अलग से प्रावधान किया जाये क्योंकि इनकी समस्याएँ अलग होती है।
- आय तथा रोजगार प्रदान करने वाले गरीबी निवारण कार्यक्रम गरीबी को अतिरिक्त आय उपलब्ध करते है जिसका उपयोग ये लोग और खाद्यानो की खरीददारी करने के लिए करते है, परंतु ये कार्यक्रम इस बात को निश्चित नहीं कर पाते कि गरीब लोगो को वर्ष पर्यंत खाद्यानो की उर्पयुक्त मात्र में प्राप्ति हो सके क्योंकि यह तो खाद्यानो की कीमतों, आपूर्ति की सहजता तथा आय प्राप्त होने के समय पर निर्भर करता है। इसलिए इन्हें एक सुनिश्चित आय प्रदान करने की व्यवस्था की जाए।
- गरीबी निवारण के कार्यक्रमों की सफलता को जांचने के लिए इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है, कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे विभिन्न लोगो के आय स्तरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और गरीबी रेखा के नीचे वाले आय वर्गो को अलग –अलग भार दिए जाये।

ओझा, एस० के०(2014) इन्होंने इस पुस्तक में डॉ० कलाम (2003)द्वारा बताये गए 'विजन 20-20' की चर्चा की जिसमें उन्होंने गरीबी उन्मूलन एवं गाँव में शहरी क्षेत्र जैसी आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए निम्न कदम उठाने के आवश्यकता पर बल दिया।

- लोगों की विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन और विद्युत संपर्कता को बढ़ाया जाए। (Connectivity)
- विश्वासनीय दूरसंचार, इन्टरनेट तथा सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के रूप में इलेक्ट्रॉनिक सम्पर्कता बढ़ाई जाए। (Electronic Connectivity)
- बेहतर शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ज्ञान उपलब्ध कराया जाए। (Knowledge Connectivity)
- बाजार सम्पर्कता जिससे किसान अपने उत्पादों के लिए अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकें। (Market Connectivity)

4. **UNDP ने नीतियों** के छ: समूहों का अनुमोदन किया है जिसका उद्देश्य एक उचित समष्टिभावी आर्थिक प्रबंधन निर्मित करके मानव विकास को तीव्र करना तथा निर्धनता के जाल से मुक्त होना है। नीतियों के ये छ: समूह निम्न हैं :-

- सामाजिक क्षेत्र में निवेश (जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य)
- कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए निवेश।
- भौतिक अवस्थापना में निवेश।
- औद्योगिक विकास नीतियाँ जो निजी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करे।

- सम्पूर्ण समाज में समता पर व्यापक बल देना।
- पर्यावरण निर्वहनीयता तथा नगरीय प्रबंधन पर बल दिया जाना।

5. **विश्व बैंक ने अपनी विश्व विकास रिपोर्ट (2000-2001)** में 'निर्धनता पर प्रहार' को अपना केंद्र बिंदु बनाया। अपने अनुभवों व विचारो के आधार पर विश्व बैंक ने ३ क्षेत्रो में कदम उठाये जाने की अनुसंशा की थी-

- **अवसरों को प्रोत्साहन-** निर्धनों के लिए आर्थिक अवसरों का विस्तार किया जाना जो कि समग्र आर्थिक संवृद्ध को तीव्र करके तथा उनकी परिसंपत्तियों जैसे - भूमि तथा शिक्षा का निर्माण करके एवं परिसंपत्तियों का बाजार व गैर बाजार के सहयोग से प्राप्त होने वाले प्रतिफलों में वृद्धि की जाए।
- **सशक्तिकरण को प्रोत्साहन-** सरकारी संस्थाओं को निर्धनों के प्रति अधिक जवावदेही तथा संवेदनशील बनाना, राजनैतिक प्रक्रियाओं तथा स्थानीय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में निर्धनों की भागीदारी को सशक्त बनाना और उन अवरोधों को दूर करना जो लिंग, जाति, धर्म व सामाजिक स्तर आदि आधारों पर किए जाने वाले भेदभाव द्वारा उत्पन्न होते हैं।
- **सुरक्षा में वृद्धि-** निर्धनों को प्रतिकूल स्वास्थ्य, आर्थिक आघातों, प्राकृतिक आपदाओं, फसल नष्ट होने नीति जनित विस्थापनों तथा भय की आपात्ग्रस्ताओं से ग्रसित होने की आशंकाओं से वचना तथा इनके उत्पन्न होने से उनका सामना कर सकने के लिए उनकी सहायता करना इसका एक वह भाग उन प्रभावशाली सुरक्षा कवचों को सुनिश्चित करना है जो इन आघातों को सह सकने के लिए कारगर है।

इन तीनों क्षेत्रों में उन्नत स्तर पर जाना एक दूसरे के लिए परस्पर पूरक है। इनमें से प्रत्येक स्वयं में महत्वपूर्ण है तथा प्रत्येक अन्य को भी प्रोत्साहित करते हैं।

Tadoro, Michael P. & Smith, Stephen (2012) इन्होंने अपनी पुस्तक 'Economic Development' में गरीबी और असमानता की समस्या के समाधान के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाने की बात की जो एक या दो जुड़ी हुई नीतियाँ नहीं है, बल्कि ये नीतियों का समूह है जो एक दूसरे की पूरक एवं सहायक है इसमें निम्न तत्व शामिल है। औद्योगिक नीतियाँ इस प्रकार बनायीं जाये जिससे उत्पादन के साधनों को मिलने वाली मजदूरी उनके सीमान्त उत्पादन के बराबर हो तथा उत्पादक एवं साधनों की आपूर्तिकर्ता दोनों को प्रोत्साहित किया जाये। साधनों की मजदूरी सीमान्त उत्पादन के बराबर होने पर इससे उत्पादन कुशलता में वृद्धि, अधिक रोजगार का सृजन और गरीबी कम होती है।

- नीतियाँ इस प्रकार बनायीं जाये की सम्पतियों के वितरण में संरचनागत परिवर्तन हो, राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी और रोजगार प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध हों। कुछ योजनायें आर्थिक क्षेत्र से

परे होती है और ये सम्पूर्ण समाज, संस्थायें, संस्कृति और राजनीतिक ताने- बाने के विकास से जुड़ी होती है।

- आर्थिक नीतियाँ इस प्रकार की अपनाई जाये की समाज में उच्च आय प्राप्त लोगो पर प्रगतिशील कर आरोपित कर आय एवं संपत्तियों का हस्तांतरण गरीब वर्ग को किया जा सके। इन वर्गो के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में अनुदानयुक्त खाद्यान एवं सेवाए प्रदान करने के साथ रोजगार कार्यक्रम चलाये जाये।
  - गरीबो एवं उनके समुदाय को अच्छा बनाने के लिए प्रत्यछ तौर पर लक्षित नीतियों का निर्माण करना होगा जो उन्हें गरीबी की जाल से निकाल सके।
  - इसके अलावा इनके जोखिम को कम करने और उनके क्षमता तथा मानव एवं सामाजिक पूंजी विकास के लिए निम्न कार्यक्रम जैसे सूक्ष्मवित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विकास, पर्यावरण संवहानियता और सामुदायिक विकास एवं सशक्तिकरण संचालित किये जाए।

Maurya, Ramu. (2015) इन्होंने अपने शोध में बताया कि समूह आधारित सूक्ष्मवित्त कार्यक्रमों में भाग लेने से गरीब समूहों की गरीबी में कमी एवं उपभोग व्यय में वृद्धि होने के कारण जीवन स्तर में सुधार होता है, तथा इस प्रकार के कार्यक्रम एक दूसरे के निरीक्षण द्वारा संचालित होने पर उनका पुर्नभुगतान की दर अच्छी होती है।

Chaudhary, Sarita. (2014) इन्होंने अपने शोध आलेख में सूक्ष्मवित्त एवं स्वयं सहायता समूहों का अध्ययन कर निम्न निष्कर्ष दिया है-

- सूक्ष्मवित्त लोगों की आय को बढ़ा कर, सम्पत्ति निर्माण की क्षमता प्रदान कर और उनकी जोखिम को कम करके गरीबी के भार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।
- वे परिवार जो समूह आधारित कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं वे शिक्षा पर अधिक खर्च करते हैं तथा इनके बच्चों की उपस्थिति दर उच्च तथा स्कूल छोड़ने की दर निम्न है, अन्य गरीब परिवारों की तुलना में।
- ये सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम पारिवारिक आय में महिलाओं की हिस्सेदारी एवं संपत्तियों को बढ़ा कर तथा उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों के उपर इनका नियंत्रण स्थापित कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं।
- सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम द्वारा गुणवत्तापूर्ण पोषण, घर और शिक्षा, स्वास्थ्य कि उपलब्धता के माध्यम से कुछ क्षेत्रों में बाल मृत्युदर में कमी, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार और गरीबी से लड़ने की क्षमता को विकसित किया है।

- सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम अनौपचारिक ऋण प्रदान करने वाले और अन्य गैर-संस्थागत ऋण प्रदान करने वाले स्त्रोतों पर से गरीबों की निर्भरता को कम करने में मददगार साबित हुई है।
- यह शोध पत्र यह भी प्रदर्शित करता है कि महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण संस्थाओं तक उनकी पहुँच सीमित है तथा उनके साथ भेद-भाव किया जाता है। वे महिलाएँ जो गैर कृषि कार्य में संलग्न है उनको उन महिलाओं की तुलना में आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाता है जो कृषि क्षेत्र में संलग्न हैं।

Kaladhar, K. (1998) प्रस्तुत लेख में इस बात का उल्लेख किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में उधारी लेने वालो के लिए व्युत्क्रम चयन (Adverse Selection) और नैतिक जोखिम (Moral Hazard) के कारण अपूर्ण सूचनाओं की समस्या बढ़ी है। यद्धपि इस वैश्विकरण के युग में सूक्ष्मवित्त की उपलब्धता में सुधार हुआ है फिर भी इन दोनों कारणों से वित्त सुधार केवल कुछ ही क्षेत्रों तक पहुँच पाया है।

Namboodiri, N. V &. R. L, Shiyani (2001) इन्होने सामर्थ्य, कमजोरी, अवसर, और भय (SWOT) के आधार पर ग्रामीण वित्तीय सघनता का स्वयं सहायता समूहों के परिप्रेक्ष में चर्चा की।

Narayanasamy, N. S Manivel & B, Bhaskar. (2003) इन्होंने अपने आलेख में 'स्वयं सहायता समूहों' को अल्पविकसित देशों में विकास की वैकल्पिक शाखा बताया है। उनके अनुसार स्वयं सहायता समूहों गरीबों की आय प्राप्त करने की क्षमता को प्रारम्भिक तौर पर बढ़ाने वाली संस्था के रूप में उभरा है जिससे वे अब और अधिक कार्य कर सकते हैं जो पहले नहीं कर पाते थे।

Kumaran, P. K. (2002) इन्होने अपने आलेख में स्वयं सहायता समूहों में सूक्ष्म वित्त के द्वारा सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे जिले का एक व्यवहारिक अध्ययन का उल्लेख किया। इन्होंने अपने अध्ययन में 15 स्वयं सहायता समूह यादृच्छ तरीके से चयन किया जिन्हें गैर सरकारी संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंक और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा था। इनमें से 90 सदस्यों का चयन स्वयं सहायता समूह के प्रदर्शन का पता लगने के लिए किया गया जिसमें से 29 लोगों ने माना की सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों के विकास में स्वयं सहायता समूह सहायक है।

Sinha, Frances. (2005) इन्होने अपने इस आलेख में राष्ट्रीय स्तर पर हुए एक व्यवहारिक अध्ययन के आधार पर भारत में सूक्ष्म वित्त तक लोगों की पहुँच की प्रकृति, उनके उपयोग एवं योगदान के प्रभाव को प्रदर्शित किया। उन्होंने अपने अध्ययन में निम्न बाते पायीं-

- सम्पूर्ण उधार लेने वाले गरीब लोगों से उन लोगों की संख्या अधिक है जो सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं।

- अध्ययन में यह तथ्य भी सामने आया की स्वयं सहायता समूहों को अन्य सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के ग्राहकों की तुलना में अपने ऋण के उपयोग के लिए अधिक स्वत्रंता और सुगमता मिलती है।
- अध्ययन में शामिल किए गए पारिवारिक बचत व्यवहार में यह व्यक्त हुआ कि स्वयं सहायता समूह कि अति गरीब वर्ग की पारिवारिक सूक्ष्म बचत में हिस्सेदारी उच्च है।
- अधिकतर स्वयं सहायता समूह शिक्षा एवं स्वास्थ जैसे स्थानीय विकास कार्यक्रम तक ही भाग लेतें हैं और ये कभी-कभी इसके सदस्यों को उद्यम से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी प्रदान करते हैं।
- गैर संस्थागत संस्थाओं से ऋण लेने वालों की कुल संख्या में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या बहुत कम है। इस सूक्ष्म वित्त कार्य में इन लोगों को साहूकारों एवं अन्य उच्चदर पर ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं पर से निर्भरता को कम करने में सहायता की है।

Mishra, Abhisek. (2017) इन्होंने अपने आलेख में यह बताया है कि भारत में अब तक गरीबी उन्मूलन के लिए चलाये गये विभिन्न कार्यक्रमों में क्या-क्या कमियाँ थीं। जिसकी वजह से ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकीं। इसमें इन्होंने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1980) और (1999) में शुरू की गयी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की कमियों जैसे :- विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी, कोष का पूर्णत: उपयोग न हो पाना, जटिल नियम एवं अधिनियम, कमजोर योजना निर्माण, योजना को लागू करने के लिए आधारभूत संरचना की कमी और योजना के बारे में लोगों की अपूर्ण जानकारी इत्यादि का उल्लेख किया है। इसके बाद भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कैसे इन दोनों योजनाओं से भिन्न हैं इसका उल्लेख किया है.

शोध समस्या-

इस प्रस्तावित शोध विषय के अंतर्गत अम्बेडकरनगर जिले में क्रियान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा लाभार्थियों को किस प्रकार से आजीविका के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं तथा इस योजना द्वारा उनके आर्थिक स्तर में किस प्रकार का बदलाब आ रहा है इसी का अध्ययन करना इस शोध की प्रमुख समस्या थी तथा इसके मूल्यांकन के लिए अम्बेडकर नगर जिले के अकबरपुर ब्लॉक का अध्ययन किया गया।

शोध की प्रासंगिकता-

एक देश का आर्थिक विकास और गरीबी स्तर ये दोनों एक दुसरे से विपरीत रूप से सम्बन्धित होते हैं इसलिए बिना गरीबी उन्मूलन के आर्थिक विकास का अनुभव नहीं किया जा सकता है परन्तु भारत में दो दशक तक तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद गरीबी में कमी नहीं आयी। भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए स्वतंत्रता के बाद से ही प्रयास शुरू किये गए और 1970 के दशक में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया तथा विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए गए परन्तु स्वतंत्रता के सात दशक के बाद भी भारत की (2010-2011 की जनगणना के अनुसार) 21.99% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यह योजना अब तक गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू की गयी सभी योजनाओं से भिन्न हैं क्योंकि इसमें ग्रामीण गरीबों को सक्षम और प्रभावशाली मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय समावेशन, उनकी जोखिम को कम करना तथा स्वंय सहायता समूहों के माध्यम से बिना सम्पत्ति बंधीकरण के ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सूक्ष्म वित्त तक गरीबों की पहुँच उनके अपने प्रचुर संसाधन श्रम के उपयोग के लिए अवसर प्रदान करते हैं। भारत की वर्तमान में लगभग 30 करोंड़ जनसंख्या गरीबी रेखा से नीची जीवनयापन कर रही है, इसलिए यह योजना वर्तमान में इन गरीबों की कितनी मदद कर पा रही है?और उनकी आजीविका को कितना बढ़ा पा रही है? इसी का मूल्यांकन करना ही इस शोध की प्रासंगिकता है।

शोध प्रश्न -

1. समाज के वंचित तबको के आजीविका संवर्धन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की भूमिका क्या है?
2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के आर्थिक विकास के लिए किस स्तर तक वित्तीय एवं अन्य सेवाएं प्रदान की जा रहीं हैं?
3. महिलाओं के सशक्तिकरण में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्या योगदान है?

शोध का उद्देश्य -

प्रत्येक परिवार की आजीविका उसके आय प्राप्त करने वाली किसी न किसी क्रिया-कलाप से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। सामान्यत: संसाधन विहीन व्यक्ति या परिवार अपना स्वरोजगार शुरू करने या कोई सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए एक सूक्ष्म वित्त की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत ग्रामीण गरीबों की आजीविका में निरंतर वृद्धि करने के लिए उनको स्वरोजगार प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान, बैंक ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएँ, तकनीकी और विपणन सेवाओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए की गई। अत: इस शोध के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं-

१. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा समाज के वंचित तबकों के आजीविका संवर्धन का अध्ययन करना।
२. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय मदद एवं अन्य सेवाओं का अध्ययन करना।
३. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि-

शोध उपकरण – प्रश्नावली, साक्षात्कार तथा अवलोकन

इस शोध अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीय दोनों स्त्रोतों का उपयोग किया गया हैं। प्राथमिक स्त्रोत के अंतर्गत अवलोकन, व्यक्तिगत एवं सामूहिक साक्षात्कार और मुक्त-प्रश्नावली का उपयोग किया गया हैं। द्वितीयक स्त्रोत के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित आकड़ो के साथ-साथ विभिन्न पत्र –पत्रिकओं एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों, सूचनाओं का उपयोग किया गया हैं।

शोध प्रक्रिया-

इस अध्ययन के दौरान कुल 119 ग्रामों में से 15 ग्रामों के 33 स्वयं सहायता समूहों से 45 प्रतिभागियो से मुक्त प्रश्नावली के माध्यम से योजना से सम्बंधित जानकारी एकत्रित की गयी। छह स्वयं सहायता समूहों की प्रतिनिधित्व करने वाले 6 प्रतिभागियों का साक्षात्कार लिया गया एवं शोधार्थी द्वारा क्षेत्र अध्ययन के दौरान स्वयं सहायता समूहों की बैठकों और अन्य क्रियाकलापों का अवलोकन किया गया।

शोध की सीमाएँ -

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वर्तमान में भारत के लगभग सभी राज्यों में लागू है परन्तु समय और वित्तीय उपलब्धता को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के अम्बेडकर नगर जिले के अकबरपुर ब्लाक का अध्ययन किया गया हैं जिसमें ये योजना संचालित हो रही है। अकबरपुर ब्लॉक में कुल 119 ग्राम हैं और इन ग्रामों में कुल 1005 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया हैं। अध्ययन के दौरान शोधार्थी द्वारा 15 ग्रामो के कुल 33 स्वयं सहायता समूहों से 45 प्रतिभागियों से आकड़ें प्राप्त किये गए हैं। इस शोध की दूसरी सीमा प्रश्नों से सम्बंधित हैं क्योंकि यह अध्ययन मूलतः प्राथमिक आकड़ें के संकलन पर आधारित हैं, यानि की यह केवल सर्वेक्षण पर निर्भर नहीं हैं बल्कि प्रतिभागियों द्वारा दिए गए आंतरिक जानकारी पर केन्द्रित हैं और इसमें कुछ संवेदनशील प्रश्न जैसे उनकी आय, बचत उपभोग एवं कौशल विकास जैसे प्रश्न पूंछे गए हैं। जिनके बारे में उत्तरदाता के पास सही जानकारी नहीं हो सकती हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

निष्कर्ष एवं सुझाव

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत द्वारा संचालित गरीबी उन्मूलन की एक संकर स्वरूप (HYBRID MODEL) की योजना है जिसे पूर्व में चलाई गयी सभी गरीबी उन्मूलन योजना की कमियों एवं विशेषताओं को ध्यान में रखकर लागू किया गया। इसके अंतर्गत गरीबों का व्यापक सामाजिक जुड़ाव, उनका संस्थागत क्षमता निर्माण करना (जैसे स्वयं सहायता समूहों में गठित करना एवं उनका संगठन बनाना), उनका वित्तीय समावेशन करना, उनके क्षमता निर्माण के लिए स्वरोजगार/रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे उनकी आजीविका का संवर्धन हो सके एवं अन्य सरकारी योजनाओं में इनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके और पूरे देश के गरीबों को 8-10 वर्ष के अंदर इनको आजीविका का स्थायी साधन उपलब्ध कराकर गरीबी से मुक्त कराया जा सकें, का लक्ष्य रखा गया हैं।

इस योजना के इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत शोध का पहला उद्देश्य समाज के वंचित लोगों के आजीविका संवर्धन में इस योजना की भूमिका का अध्ययन करना था। अकबरपुर ब्लॉक में इसके लिए मुख्यतः ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण जैसे 'श्री विधि' से खेती करना, जैविक खाद एवं रसायन बनाना, 'पोषण वाटिका' द्वारा अपने परिवार के लिए अलग-अलग दिनों के लिए अलग-अलग सब्जी उगाने का प्रशिक्षण दिया गया। कृषि प्रशिक्षण के उपरान्त बहुत सी महिलाओं ने इसका उपयोग किया और इसको कृषि के लिए उपयोगी माना। वाटिका पोषण प्राप्त महिलाओं ने इसको उपयोगी माना लेकिन उसका उपयोग बहुत ही कम महिलाओं ने किया। इस प्रकार यदि देखें तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जिसका प्रमुख उद्देश्य कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं की क्षमताओं का विस्तार करके, उनकी आय में वृद्धि लाकर, कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के साथ-साथ, प्रत्येक गरीब परिवार के खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। इसमें अब तक आंशिक ही सफल हो पायी है। इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार एवं रोजगार प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं अपने प्रशिक्षण का उपयोग केवल अपने घरेलू उपयोग तक ही कर रही है। संगठनात्मक प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं जिसमें विशेषत: CRP, समूह सखी शामिल है समूह सखी को प्रतिमाह 1200 रूपये तथा सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRP) को बाहर जाने पर सभी सुविधाओं सहित 500 रूपये प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है। अकबरपुर ब्लॉक जिसमें यह योजना जनवरी 2014 में लागू की

गयी जिसका पहला लक्ष्य सभी गरीबों को 2017 तक संस्थागत रूप से संगठित करने का था। इसके बाद इनके आजीविका संवर्धन पर प्रमुखता से ध्यान देना है। इसलिए अब तक इन वंचित तबकों के आजीविका संवर्धन के लिए विशेष प्रयास नहीं किये जा सके। परन्तु जब आजीविका संवर्धन पर ध्यान दिया जाएगा और इसके साथ गैर सरकारी संगठन (NGOS), सिविल सोसाइटी संगठन (COGS) की भागीदारी, तकनीकी बाजार पहुँच, बाजार ज्ञान इत्यादि उपलब्ध कराया जाएगा तो यह योजना इन गरीबों के आजीविका संवर्धन में अवश्य ही कामयाब होगी।

इस शोध का दूसरा उद्देश्य इस योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाली वित्तीय मदद का अध्ययन करना था। इस ब्लॉक के अंतर्गत ***'पंचसूत्रा'***[32] का पालन करने सभी स्वयं सहायता समहों को 3-4 माह के अंदर 'रिवाल्विंग फण्ड', अपने समूह के समूह गठन के 8-12 माह के बाद 'सूक्ष्म नियोजन परियोजना' (MIP)[33] बनाने वाली स्वयं सहायता समूह को 'सामुदायिक निवेश कोश' (CIF) 1 लाख 10 हजार रूपये उपलब्ध कराये गयें। इन स्वयं सहायता समूहों के गठन के 6-8 माह के अंदर, इनके समूह के प्रदर्शन और इनकी बचत करने की क्षमता के आधार पर बैंक द्वारा 'नगद ऋण सीमा' (CCL) के अंतर्गत प्रत्येक समूह को 50000-300000 रूपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। समूह की महिलाएं अपनी साप्ताहिक बचत करती हैं। ये चारों निधियों रिवाल्विंग फण्ड (RF), सामुदायिक निवेश कोष (CIF), नकद ऋण सीमा(CCL)[34] और महिलाएं द्वारा की बचत जमा सामूहिक रूप से आकस्मिक निधि के रूप में समूह के खातों में हमेशा उपलब्ध रहती है। जब भी किसी सदस्य को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो अपने समूह की आकस्मिक निधि से 2% प्रतिमाह की ब्याज दर पर इनको तुरंत ही पैसा प्राप्त हो जाता है। किसी सदस्य को यदि बैंक से पैसो की आवश्यकता पड़ती है तो उनको समूह के माध्यम से बैंक बिना किसी बंधक सम्पत्ति को रखे आसानी से ऋण उपलब्ध कराता है। ब्लॉक के सभी समूहों के प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय मदद उपलब्ध होती है। इस योजना का इस क्षेत्र की महिलाओं पर एक और महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि जो महिलाएं अभी तक बैंकिंग प्रक्रिया को नहीं जानती थी वे अब अपने समूह के माध्यम से इस बैंकिंग प्रक्रिया को आसानी से समझ पा रहीं हैं। इस प्रकार अगर देखें तो यह योजना ब्लॉक की महिलाओं की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उनको वित्तीय साक्षर भी बना रही हैं। गैर-संस्थागत वित्तीय स्त्रोतों जैसे साहूकारों इत्यादि के चुंगल से मुक्त कराकर संस्थागत वित्तीय संस्थाओं की ओर उन्मुख कर रही है।

[32] पंचसूत्रा- 1 नियमित बैठक 2 नियमित बचत 3 नियमित आंतरिक लेन-देन 4 समय पर पुर्नभुगतान 5 बहीखाते का हर समय सही लेखांकन

[33] MIP – Micro Investment Plan

[34] CCL – Cash Credit Limit

शोध का तीसरा उद्देश्य यह जानना था कि यह योजना महिलाओं को कितना सशक्त बना रही है। इस योजना की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें समूह की महिलाओं में से कुछ महिलाओं को लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर ब्लॉक स्तर पर चुनकर उनको CRP, BRP, पशु सखी एवं कृषि सखी का प्रशिक्षण दिया जाता है और यही महिलाएं अपने ब्लॉक, जनपद एवं अन्य जिलों में ***'सामुदायिक अभिप्रेरक'*** के रूप में कार्य करती हैं। इसके माध्यम से वे महिलाएं जो अब तक अपने घरों में निष्क्रिय बैठी रहती थी वे अब घर से बाहर निकलकर दूसरी महिलाओं को गरीबी से बाहर निकालने का कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त समूह की अन्य महिलाएं जो नियमित अपने समूह और ग्राम स्तर संगठन पर साप्ताहिक बैठक करती हैं वे इन बैठकों में ग्राम स्तर पर आने वाली सरकारी योजनाओं जैसे-आवास, राशन कार्ड,खडंजा-नाली, वृद्धा पेंशन, मध्याहन भोजन योजना (MDM) एवं आँगनबाड़ी इत्यादि सरकार द्वारा गरीबों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में वे खुद चर्चा करती है। इनको अन्य लोग जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं आकर सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। जिससे इन महिलाओं के अंदर अपने लिए चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हो रही है। वे अपने समूह के माध्यम से ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर अपने हक की मांग कर रही हैं। समूहों में जुड़ने से महिलाएं अब साक्षर भी हो रही हैं क्योंकि समूह में प्रत्येक सदस्य को बैठने के समय हस्ताक्षर करना होता है इस कारण से समूह की वे महिलाएं जो लिख नहीं पाती थी उनमें से अधिकांश अब अपना हस्ताक्षर कर ले रही हैं। समूह से जुड़ने के बाद इन महिलाओं का पुरुषों पर से वित्त को लेकर होने वाली निर्भरता कम हो रहीं हैं। अब इनकी अपनी छोटी-छोटी जरूरतें समूह के माध्यम से पूरी हो रही हैं। इसके आधार पर देखें तो यह योजना इनमें आत्मविश्वास, स्वाधिकार, वित्तीय निर्भरता के साथ-साथ सामुदायिक रूप प्रदान करने में सफल रही।

इस प्रकार इन निष्कर्षों के आधार पर कह सकते हैं कि यह योजना अकबरपुर ब्लॉक में शोध अध्ययन के पहले उद्देश्य आजीविका संवर्धन में आंशिक रूप से, जबकि स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराने में पूरी तरह से सफल हुई और इसमें शामिल महिलाओं को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सुझाव

- स्वयं सहायता समूहों में शामिल सभी महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजाना आदि में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाय जिससे कि इनके सामाजिक जोखिम को कम किया जा सके।
- समूह की महिलाओं को कृषि प्रशिक्षण एवं वाटिका पोषण प्रशिक्षण के उपरान्त इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विशेषत: वाटिका पोषण के लिए गरीब महिलाओं को जैसे गमले, बीज और कुछ आवश्यक सामग्री समूहों के माध्यम से नि:शुक्ल उपलब्ध करायी जाए।
- सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRP), समूह सखी, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP) एवं सामुदायिक पेशेवरों को अन्य सरकारी योजनाओं (जिसमें गरीबों की भागीदारी बढ़ाने की बात की गयी है) के बारे में विधिवत जानकारी दी जाए जिससे वे समूहों की महिलाओं को उनका अधिकार अच्छी तरह बता सकें।
- सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRP), समूह सखी, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP), पशु सखी, प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन (PRP) इत्यादि के लिए समय-समय पर सेमिनार एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाए।
- समूह सखियों के कार्यभार को देखते हुए इनके वेतनमान में वृद्धि की जाए।
- कृषि प्रशिक्षण जब भी आयोजित किए जाए तो फसल चक्र को ध्यान में रखा जाए और फसल बुआई के कम से कम एक महीने पहले कृषि प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।